

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज

11-1-2022 | पत्रावली चेरा हुई रक्त-रक्त कर तीन बार  
आवाज दिलाई गई न तो अभिभाष रुडपरिषत  
है और न ही पक्षकारान पत्रावली लम्बे  
समय से साक्ष्यवादी में चल रही है  
ऐसी स्थिति में न्यायालय इस पत्रावली  
को आगे जैशकार रखना उचित नहीं समझती  
है अतः पत्रावली अदम लजरी अदम पेशी  
में खारिज की जाती है पत्रावली फसल  
शुमार लेकर नम्बर से काम की जावे।  
निर्णय आज दिनांक 11-1-2022 को खुले  
न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
मामरोल जिला बारी (राज०)

